2790

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017 **Dated Shimla-171002,** 20-1-2018

Order

Sub :- **Diversion of 1.3062 ha of forest land in favour of M/s Manorma Stone Crusher at Joginidhar (Chutti Bihal) for Stone Quarry for feeding of existing Stone Crusher established on Private Land at Village Nalini, Post Office Hurla, Tehsil Bhunter, within the jurisdiction of Parvati Forest Divison, Distt. ~~Kinnaur~~ Kullu, HP.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/05/49/2014/FC/1580 dated 20-12-17** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.3062** हैक्टेयर वन भूमि को **M/s Manorma Stone Crusher** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित **1.3062** है0 वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम,1927 के अन्तर्गत आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रिय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए ।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाती के पौधों का रोपण किया निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरांत जहां–जहां सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर जाएगा।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. Layout Plan भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 71 से अधिक न हो।
11. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required, as per the provisions of the Environmental (Protection)Act,1986.

S(FCA)

APCCF(FCA)

Contd./2

3966 PCCF
27/1/18 20/1/18

12 The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoining pillars etc

13 The renewal period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of mining lease granted in accordance with the Himachal Pradesh Minor Mineral (Concession)Revised Rules, 1971, or project life, whichever is less.

14 The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.

15 The User agency shall submit the annual report on compliance to conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.

16 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-Deputy Commissioner, District Kullu, HP.

17 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2016** (FCA) Dated, Shimla-171001 the,...20-1-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with a request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The CCF(FCA)-cum-Nodal Officer O/o HPFDHQ Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Kullu Distt., Kullu Himachal Pradesh .
6. DFO Parvati Forest Division, Distt., Kullu, H.P.
8. M/s Manorma Stone Crusher ,Village Nalini, PO Hurla, Tehsil Bhunter, Distt.Kullu,HP.
9. Guard File.

(Gopal Sharma)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

2122

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 20-1-2018

Order

Sub :- **Diversion of 2.4679 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Link road from Dharta Moud to Naloh (Kms. 0/00 to 3/810) within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, Distt. Chamba, H.P.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **HPB/710/2014-CHA/1626 dated 28-12-17** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.4679** हैक्टेयर वन भूमि को **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण guideline para 3.2 (vi) के अन्तर्गत प्रस्ताव के अनुसार Tahu DPF, में प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 5.00 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

6 सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

9 कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों से अधिक न हो।

10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward तथा back bearing भी अंकित किया जाएगा।

11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

S(FCA) 20/1 APCCF (FCA)

Contd./2

PCCF 20/1/18

प्र0मु0अ0व0 हि0प्र0
डायरी 3967

12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-6/2017** (FCA) Dated, Shimla-171001 the,...28-1-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- CCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Chamba Distt., Chamba, Himachal Pradesh
6. DFO Dalhousie Forest Division, Distt., Chamba H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, HPPWD Dalhousie Distt. Chamba HP.
8. Guard File.

(Gopal Sharma)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

1883

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017 **Dated Shimla-171002, the 20-1-2018**

Order

Sub :- Diversion of 2.1028 ha of additional forest land for the construction of Chanju-I HEP(36MW) in favour of M/s IA Energy, New Shimla, within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPC/497/2009/1624 dated 28-12-17** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.1028 ha** वन भूमि को **M/s IA Energy, New Shimla** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते है:–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Panjora H 43 E/2, Range Ramgarh, Tehsil Bangana, District Una में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **2.1028** है0 गैर– वन (निजी) भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा गैर वन भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रिय कार्यलय को प्रेषित की जाएगी।

3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

4 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहँचे।

6 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

8 प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।

9 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यार्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Pillar no., Forward तथा Back bearing तथा distance between pillars भी अंकित किया जाएगा।

10 यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के मुताबिक पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करेगी।

11 केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट योजना (layout plan) नहीं बदला जाएगा।

12 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का plantation किया जाएगा।

Contd./2

13 वन भूमि का इस्तेमाल किसी भी उददेशय के लिए नहीं किया जायेगा जो कि प्रस्ताव में निर्दिष्ट और किसी भी परिस्थिति में है " भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना " किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

14 प्रयोक्ता ऐजेंसी राज्य सरकार तथा इस मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय को अनुमोदित शर्तों की अनुपालना आख्या पर वार्षिक रिपार्ट प्रस्तुत करेगी।

15 वन विभाग यह सुनिश्चित् करेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र फाईल संख्या 7-25/2012-AC दिनाक् 24–10–2016 से जारी वन क्षेत्रों के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए दिशानिर्देश का पूर्णतया पालन किया जाए।

16 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निरतारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

17 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

18 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

19 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Chamba, HP.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-6/2017** (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 20-1-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- CCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Chamba Distt., Chamba, Himachal Pradesh
6. DFO Chamba Forest Division, Distt., Chamba H.P.
7. M/s IA Energy, New Shimla HP.
8. Guard File.

(Gopal Sharma)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

S(FCA)
22/1
APCCF(FCA)

395
23/1/18